भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3598
उत्तर देने की तारीख-10/08/2026

उच्च शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन

†3598. **डॉ. आलोक कुमार सुमन:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) का कार्यान्वयन किस प्रकार किया जा रहा है;

(ख) उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(घ) शिक्षा क्षेत्र में कौशल विकास कार्यक्रमों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा में सुधार के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) और (ख): राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) की घोषणा के बाद, इसके कार्यान्वयन के लिए स्कूल और उच्चतर शिक्षा दोनों में कई परिवर्तनकारी बदलाव हुए हैं।

स्कूल शिक्षा में कई पहलें की गई हैं जैसे कि स्कूलों के उन्नयन के लिए पीएम श्री (पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया); सभी बच्चों के लिए समावेशी और समान कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए समग्र शिक्षा; कक्षा 3 तक की बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान सुनिश्चित करने के लिए समझ के साथ पठन और संख्याज्ञान में दक्षता हेतु राष्ट्रीय पहल (निपुण भारत); तीन महीने के खेल आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल के लिए विद्या-प्रवेश दिशानिर्देश; डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करने के लिए पीएम ई-विद्या; 3 से 8 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए तैयार की गई खेल-आधारित शिक्षण शिक्षण सामग्री के लिए बुनियादी स्तर पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ-एफएस) और जादुई पिटारा का शुभारंभ;; निष्ठा (स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल)

1.0, 2.0 और 3.0; विद्या समीक्षा केंद्र; एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम; शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को ऊर्जावान और उत्प्रेरित करने के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा आर्किटेक्चर (एनडीईएआर); 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी निरक्षरों को लक्षित करते हुए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम/उल्लास का शुभारंभ आदि।

उच्चतर शिक्षा में, अवर स्नातक कार्यक्रम के लिए पाठ्यचर्या और क्रेडिट फ्रेमवर्क जैसे दिशानिर्देशों/विनियमों के साथ राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) और राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क (एनएचईक्यूएफ); उच्चतर शिक्षा संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित शैक्षणिक कार्यक्रम बहु प्रवेश और निकास; उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को बहु-विषयक संस्थाओं में परिवर्तित करना; एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रम करना; प्रत्येक छात्र की स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री (एपीएएआर आईडी) जो पूर्व-प्राथमिक से लेकर उच्चतर शिक्षा तक उनकी शैक्षिक यात्रा और उपलब्धियों को ट्रैक करने के लिए आजीवन पहचान के रूप में कार्य करेगी; मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना की शुरुआत के साथ एक सरल, पारदर्शी व विद्यार्थी-अनुकूल और पूर्णत: डिजिटल आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से संपार्श्विक मुक्त, गारंटर मुक्त ऋण को सक्षम बनाना; ओडीएल/ऑनलाइन शिक्षा का संशोधित विनियमन; बेहतर शिक्षण के लिए संकाय में दक्षताओं का निर्माण करने के लिए मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को नए सिरे से तैयार करना; स्वयम प्लेटफॉर्म का उपयोग करके नियमित पाठ्यक्रमों में 40% तक क्रेडिट की अनुमति; विभिन्न क्षेत्रों में नियोजित मौजूदा जनशक्ति का कौशलोन्नयन और पुनः कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से नए स्वयम प्लस पोर्टल का शुभारंभ; समर्थ के माध्यम से प्रवेश से लेकर डिग्री प्रदान करने तक उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के प्रशासन में प्रौद्योगिकी का एकीकरण; उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को उद्योग विशेषज्ञों के साथ काम करने में सक्षम बनाने के लिए प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस संबंधी दिशानिर्देश; भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में विदेश से छात्रों को प्रवेश देने हेतु अतिरिक्त सीटों के लिए दिशानिर्देश; ट्विनिंग, संयुक्त डिग्री और दोहरी डिग्री कार्यक्रमों प्रस्तुत करने हेतु भारतीय और विदेशी उच्चतर शिक्षण संस्थानों के बीच अकादमिक सहयोग; विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को भारत में परिसर स्थापित करने की अनुमति देने के लिए विनियम; अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में भारतीय एचईआई की बढ़ती प्रतिष्ठा; शिक्षा में भारतीय ज्ञान प्रणाली को शामिल करना आदि जैसी विभिन्न पहल/सुधार किए गए हैं।

शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और केंद्र और राज्य सरकार दोनों शिक्षा क्षेत्र के भीतर समग्र गुणवत्ता और विकास की व्यापक और प्रगतिशील वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सहयोगात्मक रूप से काम करते हैं। एनईपी 2020 इसके कार्यान्वयन के लिए अलग-अलग समय-सीमा के साथ-साथ सिद्धांत और कार्यप्रणाली प्रदान करती है। तदनुसार, शिक्षा मंत्रालय, राज्य सरकारों, शिक्षा से संबंधित मंत्रालयों, स्कूल और उच्च शिक्षा के नियामक और कार्यान्वयन निकाय जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा

परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/स्कूलों आदि ने एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के लिए पहल करना शुरू कर दिया है।

(ग): सरकार एनईपी 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप समग्र शिक्षा के तहत विभिन्न पहलों के माध्यम से स्कूली शिक्षा में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। इस पहल का उद्देश्य शिक्षण और अधिगम की प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करके शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है। समग्र शिक्षा के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को आईसीटी लैब्स और स्मार्ट क्लासरूम सहित आईसीटी अवसंरचना के लिए परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा अनुमोदित उनकी वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, गुणवत्तापूर्ण डिजिटल शिक्षण संसाधनों तक समान पहुंच प्रदान करने के लिए मंत्रालय द्वारा दीक्षा और पीएम ई-विद्या जैसी डिजिटल शिक्षा पहलों को लागू किया जाता है।

डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर शेयरिंग नॉलेज (दीक्षा) सभी कक्षाओं के लिए क्यूआर कोडेड एनर्जाइज्ड पाठ्यपुस्तकों (ईटीबी) के साथ-साथ राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूल शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री प्रदान करने के लिए एक राष्ट्र, एक डिजिटल मंच है। यह प्लेटफ़ॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एक्सेस का समर्थन करता है, जिससे शिक्षार्थियों को इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना सामग्री डाउनलोड करने और अधिगम जारी रखने में मदद मिलती है, जिससे छात्रों के लिए समान पहुंच सुनिश्चित होती है।

भारत सरकार ने बजट 2025 में दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल बुनियादी ढांचे को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने के लिए बीएसएनएल की 'भारतनेट' परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के प्रावधान की घोषणा की है।

उच्चतर शिक्षा के लिए, स्वयम, स्वयम प्रभा, ई-पीजी पाठशाला और यूजीसी ई-रिसोर्स पोर्टल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सामग्री तक पहुंच प्रदान करते हैं। डिजिटल सेवा पोर्टल के साथ यूजीसी ई-संसाधन पोर्टल के एकीकरण ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से पहुंच का और विस्तार किया है, साथ ही चयनित सामग्री को क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराया है।

व्यवहार्य अधिगम के अवसरों का विस्तार करने के लिए, 126 उच्चतर शिक्षण संस्थान (एचईआई) लगभग 802 ऑनलाइन कार्यक्रम पेश कर रहे हैं, जबकि 121 एचईआई लगभग 1,699 ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) कार्यक्रमों की पेशकश कर रहे हैं।

(घ): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 में रोजगार क्षमता, उद्यमिता और आजीवन अधिगम के संवर्धन के लिए मुख्यधारा की उच्चतर शिक्षा के साथ कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण की परिकल्पना की गई है। स्कूल स्तर पर, समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत कौशल शिक्षा को शिक्षा के एक नियमित घटक के रूप में एकीकृत किया गया है। सम्प्रेषण, स्व-प्रबंधन, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी), उद्यमिता और हरित कौशल सहित रोजगार कौशल को बढ़ाने के लिए कक्षा IX-XII के छात्रों को एनएसक्यूएफ-संरेखित कौशल पाठ्यक्रम प्रदान किए जाते हैं। एनईपी 2020 के अनुरूप, कक्षा VI से VIII के छात्रों को बैगलेस डेज, स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों के साथ इंटर्नशिप और अनुभवात्मक शिक्षा के माध्यम से पूर्व-व्यावसायिक एक्सपोजर प्रदान किया जाता है।

उच्चतर शिक्षा में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सामान्य, व्यावसायिक और अनुभवात्मक शिक्षा के एकीकरण को सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) के साथ अनुकूलित राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अर्हता फ्रेमवर्क (एनएचईक्यूएफ) को अधिसूचित किया है। राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क अकादमिक, व्यावसायिक और कौशल शिक्षा में क्रेडिट संचय और हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है जबकि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) निर्बाध शैक्षणिक गतिशीलता में सहायता करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इंटर्नशिप/अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री कार्यक्रम (आईईडीपी) के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं जिससे स्नातक छात्रों को उनके डिग्री कार्यक्रमों के साथ एकीकृत संरचित इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप के माध्यम से उद्योग-प्रासंगिक कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाया गया है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद कौशल विकास को तकनीकी शिक्षा में शामिल करके सक्रिय रूप से सुदृढ़ कर रहा है। यह उद्योगों और संस्थानों के साथ साझेदारी करता है ताकि नियमित पाठ्यक्रम के साथ ऑनलाइन कौशल पाठ्यक्रमों की प्रस्तुत किया जा सके जिसमें साथ ही कौशल-केंद्रित कार्यक्रम, अनिवार्य इंटर्नशिप और व्यावसायिक डिग्री भी शामिल है। इन पहलों को छात्रों की व्यावहारिक क्षमताओं का निर्माण करने और रोजगार क्षमता में सुधार करने के लिए तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त, एआईसीटीई ने उद्योग 4.0 प्रौद्योगिकियों के लिए व्यावहारिक प्रदर्शन सहित इंटर्नशिप, कौशल-निर्माण और संकाय संवर्धन में सहायता करने के लिए प्रमुख उद्योगों और संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

पाठ्यक्रम में रोजगार कौशल मॉड्यूल को नौकरी की भूमिकाओं/स्वयम पाठ्यक्रमों के एक भाग के रूप में शामिल किया गया है जिसमें संचार कौशल, स्व-प्रबंधन कौशल, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल, उद्यमिता कौशल और हरित कौशल शामिल हैं।

कौशल विकास में सहायता करने के लिए स्वयम प्लस पोर्टल भी शुरू किया गया है जो कार्यबल के कौशल को बढ़ाने और फिर से कुशल बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। वर्तमान में 17 क्षेत्रों

में 89 उद्योग भागीदारों से 500 से ज्यादा पाठ्यक्रम विकसित किए गए हैं और एआई, डेटा विश्लेषक आदि जैसे उभरते क्षेत्रों पर प्रस्तुत किए गए हैं। अब तक, 6,00,000 से अधिक छात्रों ने प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कराया है।

राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को संरचित ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण प्रदान करके अकादमिक शिक्षा और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच के अंतर को कम करना है। यह योजना अप्रेंटिसशिप एंबेडेड डिग्री कार्यक्रम (एईडीपी) के माध्यम से उद्योग-एकीकृत शिक्षा को बढ़ावा देती है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता(एआई) जैसे उभरते क्षेत्रों में अप्रेंटिसशिप में सहायता करती है, और एनएटीएस मूल्यांकन और क्रेडिटाइजेशन फ्रेमवर्क के माध्यम से अकादमिक क्रेडिट एकीकरण की सुविधा प्रदान करती है।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने भी अपनी योजनाओं और पहलों के माध्यम से कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। एमएसडीई द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रमुख योजनाओं में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) और राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) शामिल हैं। इसके अलावा, डीजीटी 13,856 से अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के नेटवर्क के माध्यम से कार्यान्वित शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) और शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना (सीआईटीएस) के माध्यम से दीर्घकालिक प्रशिक्षण प्रदान करता है।

(ङ): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग समग्र शिक्षा योजना का कार्यान्वयन करता है, जो प्री-स्कूल से बारहवीं कक्षा तक स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना है। यह योजना स्कूल भवनों, अतिरिक्त कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, छात्रावासों, आवासीय विद्यालयों, पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं, विद्युतीकरण, स्मार्ट कक्षाओं, आईसीटी प्रयोगशालाओं और डिजिटल शिक्षण संसाधनों के निर्माण सहित स्कूल की अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करती है।

उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) का कार्यान्वयन कर रहा है, जो एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य राज्य सरकार के विशिष्ट विश्वविद्यालयों और कॉलेजों का वित्तपोषण करना है, ताकि निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप उनकी गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। सरकार ने शैक्षिक रूप से असेवित/कम सेवा वाले क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 12,926.10 करोड़ रुपये का परिव्यय, जिसमें रूसा के पहले चरणों की प्रतिबद्ध देनदारियां भी शामिल हैं, के साथ जून 2023 में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) के रूप में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) का तीसरा चरण की शुरूआत की है। इस योजना के अंतर्गत, उच्चतर शिक्षा में पहुंच और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए आवश्यक छात्रावासों, शैक्षिक और प्रशासनिक भवनों, प्रयोगशालाओं और अन्य

सुविधाओं के निर्माण सहित अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है।

एनईपी 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप, और छात्रों के लिए भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षिक सामग्री को सुलभ बनाने के उद्देश्य से, केंद्रीय बजट 2025-26 में भारतीय भाषा पुस्तक योजना (बीबीपीएस) की घोषणा की गई है, ताकि डिजिटल प्रारूप में स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में पुस्तकें उपलब्ध कराई जा सकें। बीबीपीएस 22 भारतीय भाषाओं में शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराने की कल्पना करता है।

केंद्रीय बजट 2026-27 में एसटीईएम संस्थानों/पाठ्यक्रमों में लड़कियों के नामांकन को प्रोत्साहित करने के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण /पूंजीगत सहायता के माध्यम से प्रत्येक जिले में 1 बालिका छात्रावास स्थापित करने की घोषणा की गई है।
